o. 13

अपील सूचना अधिकार संख्या 174/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

26–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.10.15 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से सूचनांए चाही गयी थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 25088–90 दिनांक 30.09.2015 के संबंध में सूचनांए जो कि तत्कालीन सचिव श्री मलकीयत सिंह, नगरपरिषद, श्रीगंगानगर द्वारा बलएलओ श्री सुभाषचंद के विरूद्ध जांच करने कके संबंध में लोक सभा चुनाव 2014 में मतदाता पर्चियां वितरित न करने पर जांच बाबत सूचनांएः–

1. पत्रांक 25088–89 दिनांक 30.09.2015 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व कार्यवाही की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार एवं अधिकारीगण द्वारा की गई है, उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. पत्र में वर्णित कथनो व तथ्यों की बाबत विभागीय नियमों के अन्तर्गत कर्मकार व अधिकारीगण द्वारा सुभाष गोयल व मलकियत सिंह गोयल के विरूद्ध कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. उपरोक्त प्रकरण में श्री मलकियत सिंह तत्कालीन सचिव, नगर परिषद, श्रीगंगानगर को जांच अधिकारी बीएलओ श्री सुभाष गोयल के विरूद्ध नियुक्ति के आदेश की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. श्री मलकीयत सिंह जी द्वारा पुनः जांच न करने के संबंध में दी गयी जांच रिपोर्ट की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. जिस अवधि में जांच अधिकारी श्री मलकियत सिंह द्वारा जांच रिपोर्ट पेश करनी की, उस अवधि की सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. निर्धारित में श्री बीएलओ श्री सुभाष गोयल के विरूद्ध जांच रिपोर्ट पेश न करने पर जांच अधिकारी श्री मलकीयत सिंह सचिव नगर परिषद के विरूद्ध कार्यवाही न करने के नियम की विभागीय सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. नगरपरिषद आयुक्त, श्रीगंगानगर द्वारा श्री मलकीयत सिंह तत्कालीन सचिव, नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा जांच पूर्णरूपेण न करने पर बीएलओ श्री सुभाष गोयल एवं श्री मलकियत सिंह के विरूद्ध पदीप कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने उदासीनता बरतने के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व 1951 की धारा 136 के अन्तर्गत कार्यवाही जिस नियम के अन्तर्गत नही की गयी है उस नियम की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 1956 दि0 09.12.15 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1908 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गयी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1908 दि0 16.11.2015 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:–

> आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:–
>
> बिन्दु सं0 1 से 9 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 9 तक की जो सूचनांए चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 16.11.2015 सही है फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर